

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

उन्नाव, औरैया, कुशीनगर, सीतापुर, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज एवं सुलतानपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 3,25,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम, पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	उन्नाव, पत्र संख्या-993, दिनांक-10.08.2016	75.00
2	औरैया, पत्र संख्या-1116 दिनांक-08.08.2016	20.00
3	कुशीनगर, पत्र संख्या-383, दिनांक-01.08.2016	90.00
4	सीतापुर, पत्र संख्या-सी0एफ0-1, दिनांक-23.07.2016	50.00
5	बलरामपुर, पत्र संख्या-5099, दिनांक-05.07.2016	25.00
6	गोरखपुर, पत्र संख्या-266, दिनांक-17.08.2016	20.00

7	महराजगंज, पत्र संख्या-1369, दिनांक-12.09.2016	20.00
8	सुलतानपुर, पत्र संख्या-131, दिनांक-24.09.2016	25.00
	कुल योग रू०	325.00
	(रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)	

2- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान किये जाने के लिये केवल दैवी आपदा मद से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित कर चेक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में नियमानुसार वितरण किया जायेगा।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-07-अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना

जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//यूपी०.एनआईसी.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू०ओ०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

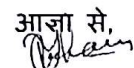
(जय प्रकाश सगर)

विशेष सचिव।

संख्या:- 1116 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आईसी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मदन मोहन)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-06/10/2016

प्रेषण संख्या:- 082

आवंटन आदेश संख्या:- 082-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

07 - अग्निकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 8000000	2000000 8000000
2	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 9000000	7500000 9000000
3	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 16500000	5000000 16500000
4	मुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 9400000	2500000 9400000
5	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 14500000	2000000 14500000
6	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 19000000	9000000 19000000
7	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 12500000	2500000 12500000
8	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3700000	2000000 3700000
	योग	वर्तमान प्रगामी	32500000 92600000	32500000 92600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया तीन करोड़ पच्चीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया नौ करोड़ छब्बीस लाख


 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 उ०प्र० शासन